पंजाब केसरी

18 हजार करोड़ के 38 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर

गुड़गांव, 7 मार्च (गौरव) : प्रदेश सरकार ने आज गुड़गांव में आयोजित 2 दिवसीय हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट, 2016 के पहले दिन विभिन्न कम्पनियों के साथ 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश के 38 एम.ओ.यू. किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई. आई.डी.सी.) के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल द्वारा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ एम.ओ.यू. दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें एम.एम.के साथ 45,365 करोड़, वाटिका लिमिटिड के साथ 12,823 करोड़ रुपए, आई. आर. ई.ओ. के साथ 11,100 करोड़ रुपए, ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ कौशल विकास के लिए 23 करोड़ का, ऑल कार्गो के साथ 500 करोड़ रुपए, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अलकीमी इंडिया प्राइवेट लिमिटिड के साथ 680 (शेष पृष्ठ 2 कालम 2 पर)

महत्वाकांक्षियों का संगम स्थल बनेगा हरियाणा : जेतली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली ने हरियाणा को एक स्थायी समग्र अर्थव्यवस्था बताते हुए कि कहा कि यह क्षेत्र भर के महत्वाकांक्षियों का संगम स्थल बनकर उभरेगा।

उन्होंने राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार करने का आग्रह करते हुए कहा कि निवेशक नीति गतिहीनता पसंद नहीं करते और ऐसे गंतव्यों को पसंद करते हैं जो अधिक अनुकूल व्यापार और राजनीतिक परिवेश प्रदान करते हैं। सहकारी संघवाद के अलावा भारत एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद भी बन गया है और भविष्य प्रतिस्पर्धी संघवाद का होगा। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन मंत्रालय क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली 25 निष्क्रिय हवाई पट्टिकाओं में से 2 हरियाणा में हैं और इन्हें सक्रिय करके इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा सकता है।

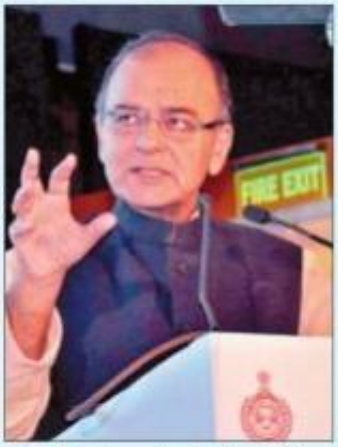

उद्योगपतियों को संबोधित करते अरुण जेतली। (गौरव)

हमारी सरकार करेगी उद्यमों की सहायता : खट्टर

मुख्यमंत्री खट्टर ने औद्योगिक उद्यमों की सहायता, कारोबार करने की लागत को कम करने तथा सहूलियत बढ़ाने और औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए कुछ प्रमुख आर्थिक नीतिगत सुधारों तथा हरियाणा की अर्थ-व्यवस्था में नई जान डालने के उद्देश्य से उद्यमियों तथा निवेशकों को हरसंभव सहायता देने का वचन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बिजली का प्रयोग करने वाली और 20 कर्मचारियों से कम वाली औद्योगिक इकाइयों तथा बिजली का प्रयोग न करने वाली और 40 कर्मचारियों से कम वाली फैक्टरियों को फैक्टरी अधिनियम से मुक्त रखने के लिए संशोधन की योजना बनाई है।